न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश विश्नोई–I, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 15/2019

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–
धर्माराम पुत्र ईशराराम जाति जाट(सउ) निवासी शिवकर धन्ने का तला तहसील व जिला बाड़मेर
(वाहन सं. RJ04GB5352)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भवानीसिंह चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 09.03.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी की चौहटन चौराहा बाड़मेर पर वाहन सं. RJ04GB5352 वक्त निरीक्षण दिनांक **16.07.2018** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **दूध (मिक्स)** जो कि अलग–अलग कन्टेनर में भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **02 किलो दूध (मिक्स)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–925** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **दूध (मिक्स)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **दूध (मिक्स)** का नमूना **अवमानक (Sub-standard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:53:36 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ दूध में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से सैम्पल लेकर खाद्य प्रयोगशाला तक भेजने की प्रक्रिया में समय लगने से दूध की गुणवत्ता व स्थिति में परिवर्तन संभव है। अप्रार्थी की फर्म से लिये खाद्य पदार्थ के नमूने की रिपोर्ट जो जोधपुर लैब से आई हैं उसमें माईनर त्रुटि बताई गई है तथा उक्त वैल्यू में अधिक अंतर नहीं होने के साथ ही किसी प्रकार से मानव जीवन के उपयोग में हानिकारक व प्राणघातक नहीं है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को खारिज करने का आदेश फरमावें।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थो से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **25.07.2018** मे उक्त नमूना **अवमानक (Sub-standard)** खाद्य का पाया गया है। इस पर अप्रार्थी को पदाभिहीत अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब/उजर प्रस्तुत नहीं किया गया। यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया, जिस पर उसके द्वारा प्रतिरक्षण के रूप मे जवाब प्रस्तुत किया गया हैं कि उक्त खाद्य पदार्थ का निर्धारित मानक वेल्यू में माईनर अन्तर आया है तथा इस अन्तर के फलस्वरूप उक्त खाद्य पदार्थ मानव जीवन के उपयोग हेतु किसी भी रूप में हानिकारक या प्राणघातक नहीं है जबकि जांच रिपोर्ट अनुसार Milk [illegible] न्यूनतम 8.50% के मुकाबले में 7.74% पाया गया है जो कि मानक [illegible] कम होना पाया गया हैं। इस प्रकार अप्रार्थी के प्रतिष्ठा[illegible] विक्रय के [illegible] से रखा गया खाद्य पदार्थ मानकता के स्तर का नहीं [illegible] के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का हैं। अप्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:53:36 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना अवमानक पाये जाने के तथ्य का कोई ठोस एवं विधिसम्मत जवाब नहीं है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर अपराध की गम्भीरता को देखते हुए रूपये 10000/– अक्षरे रूपये दस हजार का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 09.03.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई–I)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:53:36 IST
Reason: SelfAttested